

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.स्था.4/375/2019/ 15721
प्रति,

मोपाल, दिनांक 12/6/19

रामस्त संभागीय उपायुक्त,
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :- अध्यापक संघर्ष की सेवाओं का शिक्षण संघर्ष में सविलियन करने वाले।

विषयांतर्गत जनजातीय कार्य विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संघर्ष, (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 दिनांक 08 अगस्त 2018 के राजपत्र में प्रकाशित किये गये हैं। उक्त नियमों के अंतर्गत अध्यापक संघर्ष को प्रथामिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक एवं गायन-वादन शिक्षक के पदों पर सविलियन किया गया है।

आपके संभाग अंतर्गत ज़िलों ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनका सविलियन नहीं हुआ है? ऐसे अध्यापकों की सूची तत्काल इस कार्यालय को आज ही प्रेषित करें। ताकि उनका निराकरण मुख्यालय स्तर से — किया जा सके।

(आयुक्त द्वारा आदेशित)

अपर सचालक
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

पृष्ठांक/शि.स्था.4/375/2019/ 15721
प्रतिलिपि :-

मोपाल, दिनांक 12/6/19

1/- समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचालक
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश